भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 487

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ता प्रदूषण

487. श्री जय प्रकाशः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी के अत्याधिक प्रदूषित होने का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति ने इस पहलू पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) , (ख) और (ग): केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) दिल्ली में यमुना नदी सहित देश के प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती है। दिनांक 30.09.2024 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक में, दिल्ली सरकार के लिए कई कार्य निर्धारित किए गए, जैसे कि नए एसटीपी के चल रहे निर्माण को समय पर पूरा करना, विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपी) से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, इंटरसेप्टर सीवर परियोजना की पूर्ण उपयोगिता सुनिश्चित करना आदि।

(घ): सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम इस प्रकार हैं:

i. डीपीसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डीजेबी के सभी चालू एसटीपी की हर महीने डीपीसीसी द्वारा निगरानी की जा रही है और विश्लेषण रिपोर्ट डीपीसीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डीपीसीसी नियमित आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए डीजेबी के साथ पत्र व्यवहार किया जाता है।

ii. दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि प्रत्येक अनुबंध में उपचारित अपशिष्ट के गारंटिड मापदंडों को पूरा न करने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान है और गैर-अनुपालन के लिए समय-समय पर भुगतान रोक दिया जाता है/वसूली की जाती है। यदि एजेंसियां बार-बार संवाद के बाद भी ठीक से जवाब नहीं देती हैं, तो उन्हें डीजेबी टेंडरिंग से ब्लैकलिस्ट /प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। डीजेबी ने विभिन्न स्थलों पर चूक करने वाली फर्मों पर कार्रवाई की है।

iii. सीपीसीबी ने दिल्ली में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के गैर-अनुपालन की स्थिति के संबंध में जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1) (ख) के अंतर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दिनांक 12.11.2024 को निर्देश जारी किए थे।

iv. दिल्ली सरकार निम्नलिखित सीवेज अवसंरचना संवृद्धि परियोजनाओं पर काम कर रही है:

क. कोंडली फेज II, रिठाला फेज I और यमुना विहार फेज II में 3 मौजूदा एसटीपी का पुनर्वास;

ख. मौजूदा एसटीपी का उन्नयन और क्षमता में वृद्धि;

ग. ओखला और सोनिया विहार में 2 नए एसटीपी का निर्माण;

घ. विभिन्न इंटरसेप्टर सीवर परियोजनाएँ।

v. नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में 1,268 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता निर्माण के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत 1,951 करोड़ रुपए है। इनमें से आठ परियोजनाएँ पूर्ण और परिचालित हैं।

*****